



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062026-273712
CG-DL-E-22062026-273712

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3156]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2026/आषाढ 1, 1948

No. 3156]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2026/ASHADHA 1, 1948

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3282(अ).— केंद्रीय सरकार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के वे उपबंध, जहां तक यह रिचर्डसन एंड कूडास लिमिटेड (उपक्रम का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1972 से संबंधित जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 16(43)/2014-समन्वय]

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3282(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of July, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relate to serial number 39 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Richardson and Cruddas Limited (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1972, shall come into force.

[F. No. 16(43)/2014-Coord.]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3283(अ).— केंद्रीय सरकार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के वे उपबंध, जहां तक यह हिंद साइकिल्स लिमिटेड और सेन-रेले लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 से संबंधित जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 16(43)/2014-समन्वय]

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3283(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of July, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relate to serial number 42 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Hind Cycles Limited and Sen-Raleigh Limited (Nationalisation) Act, 1980, shall come into force.

[F. No. 16(43)/2014-Coord.]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3284(अ).— केंद्रीय सरकार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के वे उपबंध, जहां तक यह इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984 से संबंधित जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 16(43)/2014-समन्वय]

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3284(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of July, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relate to serial number 46 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Inchek Tyres Limited and National Rubber Manufacturers Limited (Nationalisation) Act, 1984, shall come into force.

[F. No. 16(43)/2014-Coord.]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2026

का.आ. 3285(अ).— केंद्रीय सरकार जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अधिनियम, 2026 (2026 का 8) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के वे उपबंध, जहां तक यह डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1981 से संबंधित जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टियों से संबंधित है, प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 16(43)/2014-समन्वय]

विजय मित्तल, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2026

S.O. 3285(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Act, 2026 (8 of 2026), the Central Government hereby appoints the 15th day of July, 2026 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relate to serial number 43 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Dalmia Dadri Cement Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1981, shall come into force.

[F. No. 16(43)/2014-Coord.]

VIJAY MITTAL, Jt. Secy.